

24.12.24 पत्रावली पेशी में थी गई। वादी वकील अनुपस्थित
वादी अधिवक्ता को वाद का आवज लगाई गई
वादी व वादी अधिवक्ता आवज लगाने उपरान्त
भी असाहमत/वकाशत उपस्थित नहीं आए
वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने
के कारण वादपत्र भद्र/पैरवी, भद्र/घाजी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल
दफतर हो।

वकील
सुलभक कलक्टर
एव उपस्थित अधिकारी
हनुमानगढ़

